जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 22.09.2024**

थाना कांधला पुलिस द्वारा सट्टा लगाते हुए 01 सट्टेबाज गिरफ्तार, कब्जे से सट्टा पर्चा, पैन, नकदी बरामदः-

आज दिनांक 23.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर 01 सट्टेबाज को सट्टा लगाते हुये नकदी 540/- रुपये एवं एक सट्टा पर्चा (जिस पर अंक लिखे हुए हैं) सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.आरिफ पुत्र नफेदीन निवासी ग्राम नाला थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.नकदी 540/- रुपये।

2.एक सट्टा पर्चा (जिस पर अंक लिखे हुए हैं)।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री योगेन्द्र शर्मा थाना कांधला जनपद शामली।

2.का0 संजय कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

3.का0 विष्णु सिंह थाना कांधला जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से नाजायज चाकू बरामदः-

आज दिनांक 23.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 चाकू नाजायज सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.बिलाल पुत्र इरशाद निवासी ग्राम तितरवाडा थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

2.एक चाकू नाजायज।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 संदीप कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

2.का0 पूरण सिंह थाना कैराना जनपद शामली।

3.का0 सुमित कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

आज दिनांक 21.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व मे थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 01 गैंगस्टर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.मोनू पुत्र सत्यवान निवासी ग्राम मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री सुभाष सिंह प्रभारी थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली ।

2.है0का0 जहीन अख्तर थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली ।

थाना कैराना पुलिस द्वारा युवती के साथ मारपीट के कारण उसका गर्भपात होने के मामले में 05 अभियुक्ता गिरफ्तारः-

आज दिनांक 23.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा युवती के साथ मारपीट के कारण उसका गर्भपात होने के मामले में 05 अभियुक्ता को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनाँक 21.03.2024 को वादी तालिम पुत्र हाशिम निवासी ग्राम इस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली ने अपने पुत्र व पत्नी के साथ मारपीट व मारपीट के कारण उसका गर्भपात होने के मामले में थाना कैराना पर नामजद तहरीर दी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सबीला पत्नी असगर निवासी ग्राम इस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।

2.सहरीन पुत्र असगर निवासी ग्राम इस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।

3.तजरीन पुत्री असगर निवासी ग्राम इस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।

4.सलमा उर्फ सितारा पत्नी अकबर निवासी ग्राम इस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।

5.साबिस्ता पुत्री अकबर निवासी ग्राम इस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री दीपचन्द थाना कैराना जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री सुभाषचन्द थाना कैराना जनपद शामली।

3.म0का0 स्वाति थाना कैराना जनपद शामली।

4.म0का0 ज्योति थाना कैराना जनपद शामली।

5.म0का0 रीनू राठी थाना कैराना जनपद शामली।

6.का0 पवनीश थाना कैराना जनपद शामली।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 23.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बनधित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.मसरुर पुत्र इनामुल्ला निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरूद्व शामली पुलिस की प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में जानलेवा हमला करने के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई 04 वर्ष के कारावास की सजा एवं 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

वर्ष 2021 में थाना थानाभवन पर अभियुक्त 1.सलमान पुत्र नईम निवासी मौहल्ला घेर थाना थानाभवन जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 36/2021 धारा 307/452 भादवि के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्तों को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्त को सजा कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा शामली पुलिस को मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 23.09.2024 को माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 307 भादवि में 04 वर्ष के कारावास की सजा व 1,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास एवं धारा 452 भादवि में 03 वर्ष के कारावास व 1,000/-रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.सलमान पुत्र नईम निवासी मौहल्ला घेर कस्बा व थाना थानाभवन जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 06 मामलों में 06 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 13,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-</u>

1. वर्ष 2003 में अभियुक्त राजपाल पुत्र सूरजा निवासी गढी दौलतपुर थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 139/03 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 23.09.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा उपरोक्त में सुनाई जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2. वर्ष 1997 में अभियुक्त सुन्दर पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम नौरता थाना इन्द्री जनपद करनाल हरियाणा के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 219/97 धारा 25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 23.09.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा उपरोक्त में न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा व 1,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3. वर्ष 2023 में अभियुक्त मोहसीन पुत्र मुस्तकीम निवासी नई बस्ती मुस्तफाबाद थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 450/2023 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 23.09.2024 को माननीय न्यायालय ACJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में जेल में बितायी अवधि के कारावास की सजा व 1,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 04 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

4. वर्ष 2014 में अभियुक्त अब्दुल रहीम पुत्र अवरी लुहार निवासी मौहल्ला पुरराई थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 240/14 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 23.09.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में जेल में बितायी अवधि के कारावास की सजा व 5,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

5. वर्ष 2014 में अभियुक्त वसीम पुत्र नसीम लुहार निवासी मौहल्ला नईबस्ती खैलकला थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 131/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 23.09.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में जेल में बितायी अवधि के कारावास की सजा व 1,500/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

6. वर्ष 2001 में अभियुक्त नौशाद पुत्र शमशाद कुरैशी निवासी मौहल्ला दरबार खुर्द थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 361/01 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 23.09.2024 को माननीय न्यायालय CJSD/ACJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त

उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में जेल में बितायी अवधि के कारावास की सजा व 4,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

1.राजपाल पुत्र सूरजा निवासी गढी दौलतपुर थाना कांधला जनपद शामली।

2.सुन्दर पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम नौरता थाना इन्द्री जनपद करनाल हरियाणा।

3.मोहसीन पुत्र मुस्तकीम निवासी नई बस्ती मुस्तफाबाद थाना कांधला जनपद शामली।

4.अब्दुल रहीम पुत्र अवरी लुहार निवासी मौहल्ला पुरराई थाना कैराना जनपद शामली।

5.वसीम पुत्र नसीम लुहार निवासी मौहल्ला नईबस्ती खैलकला थाना कैराना जनपद शामली।

6.नौशाद पुत्र शमशाद कुरैशी निवासी मौहल्ला दरबार खुर्द थाना कैराना जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI